उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक– 98607 /सावधि जमा/2016–17 दिनांक:-31.01.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के पत्रांक सी–50/सावधि जमा/16–17 दिनांक 19.08.16 के माध्यम से समस्त शाखाओं के लिये प्रधान कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सावधि जमा लक्ष्य निर्धारित किये गये। जनपदवार/मण्डलवार मासिक समीक्षा करते हुये खराब प्रगति वाली शाखाओं को लगातार सचेत किया गया। किन्तु इसके उपरान्त भी माह नवम्बर–2016 के बाद सावधि जमा की धनराशि में वृद्धि न होने के साथ–2 लगातार सावधि जमा में आ रही कमी इस तथ्य को इंगित करती है कि सावधि जमा हेतु आवश्यक प्रयास नही किये जा रहे है।

प्रदेश की 19 शाखाओं को छोड़कर अन्य समस्त शाखाये ऐसी है जिन्होंने माह दिसम्बर 2016 तक कमिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति नही की है। प्रदेश की 89 शाखायें ऐसी है जिन शाखाओं में प्रारम्भिक अवशेष से कम सावधि जमा अवशेष (ऋणात्मक वृद्धि) माह दिसम्बर 2016 तक पाया गया। इनके अतिरिक्त सात शाखायें बलिया, घोसी (आजमगढ मण्डल), दादरी (मेरठ मण्डल), सफीपुर (उन्नाव–लखनऊ मण्डल), अलीगंज, जैथरा (अलीगढ मण्डल) ऐसी शाखायें है जिनकी वर्तमान वित्तीय वर्ष में सावधि जमा की प्रगति शून्य है।

वर्तमान में सावधि जमा मद में जमा होने वाली धनराशि की तुलना में सावधि जमा धनराशि मद से निकासी की धनराशि में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि हो रही है, जिससे सावधि जमा मद का वित्तीय ढांचा कमजोर हो रहा है। आपको पूर्व में भी परिपत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि शाखायें निकासी की धनराशि की भरपाई, नयी सावधि जमा करा कर एक सप्ताह के अन्दर कर ले एवं समस्त शाखायें सावधि जमा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुये शाखाये प्रधान कार्यालय द्वारा अवंटित लक्ष्यो की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करे।

चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में केवल दो माह का समय अवशेष है। अतः वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्मिको को वितरित किये गये सावधि जमा लक्ष्यों की दैनिक आधार पर समीक्षा करते हुये, निकासी की धनराशि की भरपाई एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से करते हुये एवं अपने समस्त सम्पर्क सूत्रों (यथा ग्राम प्रधान, नौकरी पेशा, व्यवसायी व अन्य) से युद्ध स्तर पर सम्पर्क करते हुये शाखा के लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में आपके तथा आपके स्टाफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

ह0/-
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी–1/2, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद की समस्त शाखाओं को पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।

2–समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त पर्यवेक्षक अपने जनपद/मण्डल की शाखाओं की सघन समीक्षा करते हुये शाखाओं को आवंटित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करे।

3–उप महाप्रबन्धक(कम्प्यू0) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ह0/-
प्रबन्ध निदेशक